<u>कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ</u>

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2025/ राजकाज   दिनांकः– साईन दिनांक

<u>गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह की अस्थाई दुकान/भुखण्ड लगाने हेतु रिक्त भूमि की ऑन–लाईन (ई–बोली) सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में गोगामेडी मेला क्षेत्र में लगभग 10 माह (दिनांक 11.11.2025 से मेला वर्ष 2026 के एक सप्ताह पूर्व तक) तक लगने वाली अस्थाई दुकानों/भुखण्डों, हेतु रिक्त भूमि को इस कार्यालय की पूर्व ई–बोली दिनांक 15.09.2025 में से शेष बची अस्थाई दुकानों/भुखण्डों को किराये पर देने हेतु तृतीय चरण की ऑन–लाईन ई–बोली www.zilahanumangarh.in पर लॉग–इन कर पंजीयन शुल्क 1000/– ऑन–लाईन खाते में जमा करवाने के पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति एवं निर्धारित अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित **<u>कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, विभागीय धर्मशाला, गोगामेड़ी, कैम्प गोगामेड़ी</u>** में जमा करवाकर ई–बोली लगा सकता है।

ऑन–लाईन बोली से सबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.devsthan.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, www.zilahanumangarh.in** पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	विवरण				दिनांक
1.	पंजीयन प्रारम्भ की दिनांक				**31.10.2025**
2.	पंजीयन करने की अन्तिम दिनांक				**05.11.2025**
3.	पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक				**07.11.2025 सांय 06.00 बजे तक**
4.	ऑन–लाईन बोली प्रारम्भ की दिनांक				**08.11.2025**
5.	ऑन–लाईन बोली लगाने की अन्तिम दिनांक	**(फेज–1)**	मनिहारी बाजार पश्चिम **(06)**, मनिहारी बजार पूर्व **(05)**, चूड़ी बजार **(02)**, नोहर बाजार **(03)**, नेठराना बाजार **(01)**, विविध क्राफ्ट बाजार **(04)** बस स्टैण्ड मंदिर का मैन गेट से पक्की सड़क उत्तर की तरफ **(02)**, पैनोरमा के पास **(05)**, स्टेशन रोड़ पक्की दक्षिण की तरफ **(17)**, स्टेशन रोड़ पक्की उत्तर की तरफ **(03)**, रानी सीरीयल बजार **(01)**, तहसील भवन के पास **(05)**, सास्कृतिक मंच के सामने **(04)**,	कुल भूखण्डों की सख्या – **58**	**10.11.2025 दोपहर 4.00 बजे तक**

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग हनुमानगढ

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.10.28 16:46:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18509980

क्रमांकः—लेखा / देव / गोगामेडी / 2025 / राजकाज   दिनांकः— साईन दिनांक

प्रतिलिपि— अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ऑन—लाईन निलामी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि श्रीमान् संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त अस्थाई भुखण्डों की ऑनलाईन ई—बोली की सम्पूर्ण प्रक्रिया संचालन बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें।
3. श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ।
5. श्रीमान् संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त ऑन लाईन बोली की विज्ञप्ति, शर्ते, नक्शा, बाजार वाईज अस्थाई भुखण्डों / दुकानों, अमानत राशि एवं आरक्षित मूल्य का विवरण वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।
6. श्रीमान् सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़ को व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम / जयपुर द्वितीय / उदयपुर / ऋषभदेव / अजमेर / जोधपुर / बीकानेर / कोटा / भरतपुर / वृंदावन को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार (राजस्व) नोहर / भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
10. निरीक्षक, देवस्थान विभाग गोगामेड़ी को देकर लेख है कि फेज वाईज अस्थाई भुखण्डों की उच्चतम बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करवाने की सूचना लेखा शाखा को उपलब्ध करावें ताकि फेज वाईज अस्थाई भुखण्डों की प्राप्त राशि का लेखा संधारित हो सके एवं बोली राशि जमा नहीं करवाने पर अमानत राशि को जप्त करने की कार्यवाही एवं शेष बची अस्थाई दुकानों / भुखण्डों की आगामी चरण की ई—बोली जारी की जा सके।
11. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि वे फेज वाईज दुकानों की प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाकर इन्द्राज रोकड़ पुस्तिका में करवाएगें, एवं बोली प्राप्त होने पर भी यदि बोलीदाता द्वारा राशि जमा नहीं करवाई जाती तो उनकी अमानत राशि जप्त करते हए शेष बची अस्थाई दुकानों / भुखण्डों के साथ शामिल कर की ई—बोली आगामी चरणों में जारी करवायेगें।
12. रोकड़पाल कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि उक्तानुसार अस्थाई दुकानों / भुखण्डों की अमानत राशि जमा कर उनका इन्द्राज करवायेगें, फेज वाईज प्राप्त बोली राशि को समय पर बैंक में जमा करवाते हुए उनका इन्द्राज रोकड़ पुस्तिका में कर सहा0 लेखाधिकारी से जांच करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें। फेज वाईज अस्थाई दुकानों / भुखण्डों प्राप्त राशि, रिक्त रही दुकानों की सूचना निरीक्षक कार्यालय हाजा को प्रस्तुत करेगें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, हनुमानगढ

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.10.28 16:46:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18509980